

दिनांक:20.02.2023

## भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए पत्र

महोदया / महोदय,

विषय: फ़रवरी 2023 से जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए देय महंगाई राहत

(ए) हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारी

(बी) हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवित जीवनसाथी जिन्हें अनुग्रह राशि मिलती है.

शाखाएं अवगत हैं कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवित जीवनसाथी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है.

इस संबंध में हम अपने परिपत्र सं. एचओ: बीआर: 109/58 दिनांक 13.04.2017 का संदर्भ देते हैं जिसके माध्यम से शाखाओं को हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवित जीवनसाथी को अप्रैल 2017 से केंद्रीकृत रूप से अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में सूचित किया गया था. अतः हमारा स्टाफ पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा अप्रैल 2017 से प्रत्येक माह इन लाभार्थियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर रहा है.

भारतीय बैंक संघ द्वारा हमें सूचित किया गया है कि फ़रवरी 2023 से जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय महंगाई राहत निम्नानुसार होगी.

लागू सीपीआई औसत		प्रति माह अनुग्रह राशि रु.	महंगाई राहत की दर %	प्रति माह महंगाई राहत राशि	प्रति माह महंगाई राहत सहित कुल अनुग्रह राशि रु.
				₹.	
8705	दिनांक 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी	350	1357.42	4751	5101
	दिनांक 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत् कर्मचारियों के जीवित जीवनसाथी	175	1357.42	2375	2550

केंद्रीकृत रूप से अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के कारण शाखाओं को अप्रैल 2017 से अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. फ़रवरी 2023 से जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय महंगाई राहत में संशोधत से संबंधित यह पत्र केवल शाखाओं की सूचना के लिए है ताकि महंगाई राहत की वर्तमान दर के संबंध में पूछे जाने पर ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जा सके.

भवदीय,

(गिरीश कुमार)

र्धाः सहायक महाप्रबंधक – मा.सं.वि. एवं

प्रभारी, सेवांत लाभ तथा एचआरसीपीसी विभाग

ई-मेल/E-mail: pension.ho@bankofbaroda.com, वेबसाइट/Website: www.bankofbaroda.com



HO:HRM:PEN:115:486

Date: 20-02-2023

## LETTER TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Madam / Dear Sir,

Re: Dearness Relief payable for the period from February 2023 to July 2023 to:

(A) Surviving pre-1.1.1986 retirees of our Bank

(B) Surviving spouses of pre- 1.1.1986 retirees of our Bank who are in receipt of Ex-gratia

Branches are aware that ex-gratia is paid to surviving pre- 01.01.1986 retirees and their surviving spouses in terms of the directive received from Government of India.

In the matter we invite reference to our Circular No. HO:BR:109/58 dated 13.04.2017 vide which branches were informed about centralization of payment of ex-gratia to surviving pre- 01.01.1986 retirees and their surviving spouses w.e.f. April 2017. Hence, our Staff Pension Department, HO, Baroda is paying ex-gratia every month to these beneficiaries from April 2017 onwards.

We have been advised by Indian Banks' Association that Dearness Relief payable to such retirees for the period from February 2023 to July 2023 would be as under:-

Applicable CPI		Amount of Ex-gratia per month	Rate of Dearness Relief	Amount of Dearness Relief per month	Total Ex-gratia amount including Dearness Relief per month
Average		Rs.	%	Rs.	Rs.
	Pre 01.01.1986 retirees	350	1357.42	4751	5101
8705	Surviving spouse of pre 01.01.1986 retirees	175	1357.42	2375	2550

Consequent upon centralization of payment of ex-gratia, the branches are under instructions not to pay ex-gratia from April 2017 onwards. This letter about revision in the dearness relief payable to surviving pre- 01.01.1986 retirees from February 2023 to July 2023 is just for information of the branches to enable them to clarify to such retirees if they ask about present rate of dearness relief.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)

AGM-HRM &

IN-Charge, HRCPC & TB